एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालयः 11वीं मंजिल, सी विंग, एम्बेसी 247, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, गांधी नगर, विखरोली (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र-400083

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं। अधोहस्ताक्षरी को तार्किक रूप से विश्वास है कि कर्जदार माँग सूचना(ओं) की सेवा की अनदेखी कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। माँग सूचना(ओं) की विषय सामग्री निम्नवत है :

कर्जदार(रों) का नाम	माँग सूचना की तिथि एवं राशि
1. आनन्द मोटर्स 2. विनोद आनन्द 3. संजय आनन्द 4. मोनीश आनन्द 5. करन आनन्द 6. कंचन लैन - 212220910940252	26-08-2026 रु. 49,24,171.00/- (रुपए उनचास लाख चौबीस हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) तिथि 04-08-2026 तक

बंधक अचल संपत्ति का विवरण

लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 में स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति (नंबर बी-51) के पूरे ग्राउंड फ्लोर का समस्त भाग, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.612 वर्ग मीटर है।

कर्जदारों को माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ ऊपर उल्लिखित माँग राशि को भुगतान की वसूली की तिथि तक प्रयोज्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कृपया ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा ली गयी ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा बन्धककृत प्रतिभूत आस्ति(याँ) होने के कारण अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि कर्जदार निर्धारित समय-सीमा में अपनी देयताएँ चुकाने में असफल रहते हैं तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट बिक्री द्वारा अथवा अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार द्वारा शामिल किन्तु सीमित नहीं, अन्तरण सहित प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा और भुगतान की वसूली करेगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या अन्तरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आस्ति(यों) को कुर्की तथा/अथवा सील करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के अनुक्रम में एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को, यदि बन्धककृत सम्पत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के बकाया देयताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो शेष बकायों की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अतिरिक्त तथा स्वतन्त्र है।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) का निस्तारण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आस्ति की बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से अन्तरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेगा और उपर्युक्त का अनुपालन न करना कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यकारी दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली — हस्ता./-, अधिकृत प्राधिकारी

तिथि : 02.09.2026 — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

IDBI BANK — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

नई फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा, नई दिल्ली

लॉकर खोलने के लिए नोटिस

आपको सूचित किया जाता है कि हमारी एनएफसी शाखा आईडीबीआई बैंक से संबंधित निम्नलिखित लॉकर खातों के लॉकर धारकों ने हमारे विभिन्न नोटिस और मांगों के बावजूद लंबे समय से निर्धारित लॉकर किराया का भुगतान नहीं किया है। लॉकर धारक द्वारा सहमति के अनुसार # शर्तों और शर्तों के अनुसार, किराया न दिए जाने की स्थिति में बैंक उक्त लॉकरों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। तदनुसार, औपचारिकताएं पूरी करके **05.12.2026** को उक्त लॉकर को तोड़ने का प्रस्ताव है और संबंधित लॉकर धारकों को सलाह दी जाती है कि वे नियत तारीख से पहले शाखा से संपर्क करें और कार्रवाई से बचने के लिए बकाया राशि का निपटान करें। लॉकर खोलने के लिए शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा और बैंक किराया बकाया/अन्य शुल्क आदि के साथ वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क. सं.	लॉकर सं.	इस तारीख से देय है	नाम तथा पता
1	G3/225	31/03/2023	श्रीमती फरहा सिद्दीकी/श्री शादाबः बिल्डिंग नंबर 86, चांद अपार्ट फ्लैट नंबर 01 पहली मंजिल, जौहरी फार्म जामिया नगर, जामिया विश्वविद्यालय के पास, दिल्ली -110025

दिनांकः 01.09.2026 — हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी,

स्थानः दिल्ली — आईडीबीआई बैंक लि., नई फ्रेंड्स कॉलोनी शाखा, नई दिल्ली

डीयूडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड

सीआईएनः L74110DL2007PLC171939

पंजीकृत कार्यालयः सी-4, एसडीए कम्युनिटी सेंटर, हौज खास, नई दिल्ली-110016

कॉर्पोरेट ऑफिसः बी-86, दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024

वेबसाइटः www.dudigitalglobal.com | ईमेलः cs@dudigitalglobal.com | फोन नं0. 011 40450533

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा 19वीं वार्षिक आम बैठक से संबंध में जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि डुडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की **19वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी)** पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/दूसरे ऑडियो विजुअल तरीकों ("वीसी/ओएवीएम") के ज़रिए होगी, ताकि 19वीं एजीएम बुलाने के सूचना **("सूचना")** में बताए गए काम किए जा सकें, जिसे सही समय पर भेजा जाएगा। यह कंपनीज एक्ट, 2013 **("एक्ट")** और उसके तहत बने नियमों और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र्स रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015 **("सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन्स")** के लागू नियमों के अनुसार है, जिसे 22 सितंबर, 2025 के एमसीए सर्कुलर नंबर 03/2025 के साथ पढ़ा गया है, साथ ही इस बारे में पहले जारी किए गए सर्कुलर्स (जिन्हें एक साथ **"एमसीए सर्कुलर्स"** कहा जाता है)।

एक्ट, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस और एमसीए सर्कुलर के अनुसार, 19वीं एजीएम का नोटिस और फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 की एनुअल रिपोर्ट (जिसमें 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शामिल हैं) सही समय पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन मेंबर्स को भेजी जाएगी जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") यानी बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("DPs") के पास रजिस्टर्ड हैं। सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 36(1)(बी) के तहत, जिन मेंबर्स ने अपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं कराए हैं, उन्हें एनुअल रिपोर्ट देखने के लिए वेब-लिंक वाला एक लेटर भेजा जाएगा। कंपनी उन मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट की फिजिकल कॉपी भेजेगी जो cs@dudigitalglobal.com पर अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताते हुए इसकी रिक्वेस्ट करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dudigitalglobal.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसे आरटीए की वेबसाइट www.bigshareonline.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी सही समय पर देखा जा सकता है।

सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और भागीदारी के तरीके एवं अन्य प्रासंगिक विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। तदनुसार, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की 19वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सदस्यों को सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविधा आरटीए द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन वह एजीएम में वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और पद्धति, एजीएम में ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम सूचना में दिए गए हैं।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।

किसी भी पूछताछ या एजीएम में ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप ivote@bigshareonline.com पर मेल कर सकते हैं या 1800 22 54 22, 022-62638338 पर कॉल कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

डीयूडिजिटल ग्लोबल लिमिटेड

हस्ता/-

तिथिः 02.09.2026 — तृप्तांशी अरोड़ा

स्थानः नई दिल्ली — कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ADITYA BIRLA CAPITAL — HOME LOANS

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266 (फोन) +91 2243567100 (टोल फ्री) 1800 270 7000 सीएनः U65922GJ2009PLC083779 | homefinance.adityabirlacapital.com

शाखा कार्यालयः- आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नंबर एन/17, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग बाराखंभा रोड, नई दिल्ली - 110001

बिक्री सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में भारित अचल संपत्ति की निजी संधि द्वारा बिक्री

अधोहस्ताक्षरी, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात "ABHFL कहा गया है) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अचल संपत्ति अर्थात् "द्वितीय तल (छत के अधिकारों के बिना, पिछली ओर बाईं तरफ का फ्लैट), फ्लॉट संख्या 26, क्षेत्रफल 62.5 वर्ग गज, जो 250 वर्ग गज में से है (खसरा संख्या 17/24 में से 209.03 वर्ग मीटर), राजस्व ग्राम मटियाला, दिल्ली राज्य, दिल्ली में स्थित, आबादी क्षेत्र जिसे कॉलोनी मटियाला एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से जाना जाता है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः पिछली ओर दाईं तरफ का फ्लैट/अन्य संपत्ति, उत्तरः सामने की ओर बाईं तरफ का फ्लैट/20 फीट सड़क, दक्षिणः 10 फीट गली" (जिसे इसके पश्चात "प्रतिभूत संपत्ति" कहा गया है) का प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत भौतिक कब्जा ले लिया है। उक्त संपत्ति वित्तीय सुविधा के संबंध में ABHFL के पक्ष में प्रतिभूत थी तथा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं - वरुण कुमार, कन्हैया कुमार एवं डेजी देवी (जिन्हें इसके पश्चात "उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता" कहा गया है) की ओर बकाया देय राशि रु. 36,56,787/- (रुपये छत्तीस लाख छप्पन हजार सात सौ सतासी मात्र) तथा उस पर वसूली की तारीख तक आगे का ब्याज और उस पर किए गए अन्य व्यय सुरक्षित थे। कि प्रतिभूत परिसंपत्ति की सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी विफल होने पर, अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत निजी समझौते के माध्यम से बिक्री द्वारा उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति के संबंध में अपने प्रतिभूति हित को प्रवर्तित कर रहा है। प्राधिकृत अधिकारी को उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की खरीद के संबंध में एक संभावित क्रेता से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अब, प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के अनुसार, एतद्द्वारा उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से बेचने हेतु सूचना देता है। बिक्री "जैसी है जहाँ है के आधार पर", "जैसी है जो है के आधार पर" और "जो कुछ भी है उसी के आधार पर" 24-09-2026 को या उसके पश्चात, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं से ABHFL को देय रु. 36,56,787/- (रुपये छत्तीस लाख छप्पन हजार सात सौ सतासी मात्र) की वसूली हेतु प्रभावी की जाएगी। प्रतिभूत परिसंपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 27,00,000/- (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) निर्धारित किया गया है। उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है, और ABHFL अब प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित निजी समझौते के माध्यम से, यहाँ उल्लिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री करके अपने प्रतिभूति हित को प्रवर्तित करने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति को विमोचित कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में हैं।

दिनांकः 02.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी,

स्थानः दिल्ली — आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज़ लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088

टेलीः 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507

ई-मेलः brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट www.brilliantportfolios.com

32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट ई-मतदान संबंधी जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") रविवार, 27 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की जाती है।

एमसीए परिपत्रों की अनुपालना में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के संबंधित प्रावधानों और सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियमों") के अनुपालन में वि.व. 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट) के साथ एजीएम बुलाने की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 01 सितंबर, 2026 को उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी")कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं। रिपोर्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने वाले वेबलिंक और सटीक पथ के साथ-साथ एक स्टैटिक क्विक रिस्पांस कोड (एसटीआईडी) उन सदस्यों को भेजा गया है जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। एक सदस्य brilliantportfolios@gmail.com पर कंपनी को एक ई-मेल भेजकर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज नोटिस भेजने की तारीख से रविवार, 27 सितंबर, 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे brilliantportfolios@gmail.com को लिखें।

सदस्य एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में लॉगिन क्रेडेंशियल और कंपनी की एजीएम के लिए ई-वोटिंग इवेंट नंबर (ईवीईएन) का चयन करके शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया नोटिस में उल्लिखित है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के निर्देशः

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सामान्य बैठक पर सचिवीय मानदंड और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के अनुसार कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को एनएसडीएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा एनएसडीएल के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

जिन शेयरधारकों के नाम कट-ऑफ तारीख यानी रविवार, 20 सितंबर, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत	गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 सुबह 9 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	शनिवार, 26 सितंबर, 2026 शाम 5 बजे (आईएसटी)

* रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे के बाद अक्षम कर दी जाएगी और इसे केवल एजीएम के दौरान सक्षम किया जाएगा।
* जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
* सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
* जिन व्यक्तियों ने कंपनी के शेयर हासिल कर लिए हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे आवश्यक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि नोटिस में बताया गया है।
* इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए, यदि ई-मेल पता डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, तो सदस्य कंपनी को www.brilliantportfolios.com पर ई-मेल भेजकर ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते है, जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर उनके पास डीमटेरियलाइज्ड या भौतिक रूप में हैं तो वे इसे अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें और यदि शेयर उनके पास हैं तो कंपनी/आरटीए के पास पंजीकृत करें।
* सभी सदस्यों (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों/जिनके ई-मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं) के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में दिए गए है।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण नीचे दिया गया हैः

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 022-48867000 एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 1800-21-09911 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड

हस्ता/-

स्थानः दिल्ली — (आशीष)

दिनांकः 01.09.2026 — कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएनः L51909DL1983PLC015585

पंजीकृत कार्यालय : 37, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली - 110 015

फोन : 011-41426055, वेबसाइट : www.abmintl.in, ईमेल : vkgandhi@abmintl.in

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध पुनः जमा करने के लिए स्पेशल विंडो खोलने के बारे में शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोड (सेबह) के सर्कुलर **एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी5/आई/3750/2026** दिनांकित 30 जनवरी, 2026 (सेबी सर्कुलर) के अनुसरण में, सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अभौतिकीकरण ("डीमैट") के लिए एक और स्पेशल विंडो खोली है। यह स्पेशल विंडो **5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027** तक एक साल के लिए खुली रहेगी। यह स्पेशल विंडो उन हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या किसी और कारण से अस्वीकृत कर दिए गए थे/वापस कर दिए गए थे/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। तथापि, जो प्रतिभूतियां इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित की जा चुकी हैं, वे इस विंडो के तहत प्रोसेसिंग के लिए मान्य नहीं होंगी।

योग्य शेयरहोल्डर अपना अनुरोध कंपनी को ऊपर दिए गए पते पर या बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062, ईमेल आईडी : beetalrta@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस अवधि में, हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियां अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में हस्तांतरिती को क्रेडिट की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के लिए लॉक-इन में रहेंगी। इस लॉक-इन पीरियड के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण/ग्रहाणाधिकार अंकन/बंधकीकरण नहीं किया जाएगा। निवेशक/हस्तांतरिती को अपने अनुरोध के लिए सेबी सर्कुलर में बताई गई शर्तें पूरी करनी होंगी।

सेबी का सर्कुलर https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jan-2026/ease-of-doing-investment-special-window-for-transfer-and-dematerialisation-of- physical-securities 99411-html पर देखा जा सकता है।

एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

रजनीश गांधी

स्थान : नई दिल्ली — प्रबंध निदेशक

दिनांक : 01 सितंबर, 2026 — डीआईएनः00244906

जीटीएल डिफेंस लिमिटेड

(पहले आरसीआई इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)

सीआईएन : L24320DL1992PLC047055

पंजीकृत कार्यालयः1/10-बी , पहली मंज़िल, मुंशी निकेतन बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली- 110002

कॉर्पोरेट कार्यालय और वर्क्सः प्लॉट नंबर 84-85, एचपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, बद्दी, ज़िला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173205

डब्ल्यू : www.jtldefence.com ई : compliance@jtl.one एम : +919056585489

कंपनी की 35वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) और ई-वोटिंग की जानकारी के लिए सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि जीटीएल डिफेंस लिमिटेड (जिसे पहले आरसीआई इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के सदस्यों की 35वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 23 सितंबर, 2026 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के ज़रिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए ") द्वारा अनुमति दी गई है।

एमसीए के संबंधित सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूचना सदस्यों को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रजिस्टर्ड ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएगी। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी अपडेट करवा लें। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jtldefence.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और बिगशेयर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट ivote.bigshareonline.com पर भी देखी जा सकती है।

एजीएम में वीसी /ओएवीएम सुविधा के ज़रिए शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता तय करने की कट-ऑफ तारीख बुधवार, 16 सितंबर, 2026 है। कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख तक शेयर रखता है, वह helpdesk.ivote@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ई-वोटिंग की अवधि **रविवार, 20 सितंबर, 2026 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) को शुरू होगी और मंगलवार, 22 सितंब